बिभीषण

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

सितंबर 19, 2007

(ए० के० माथुर और मार्कडेय काटजू, जे०जे०)

भारतीय दण्ड संहिता,1860

धारा 376 सपठित धारा 511-बलात्संग-अभियुक्त को संदेह का लाभ-अभियोक्त्री के साथ अभियुक्त के घर में बलात्संग किया गया-अभियोक्त्री के शरीर व कपडो पर लैगिंक हमले के कोई निशान नहीं-अभियोजन का अभिकथन चिकित्सक की साक्ष्य से समर्थित नहीं-विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्वी की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी-अभिनिर्धारितःविचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का सही ढंग से विवेचन नहीं किया और अभियुक्त को गलत रूप से दोष सिद्व किया-अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार है-दोष सिद्वि अपास्त

अपराधिक अपीलीय क्षेत्राधाकार आपराधिक अपील सं: 1262/2007

बाम्बे उच्च न्यायालय, पीठ औरंगाबाद, आ० अपील संख्या 392/2006 में निर्णय व आदेश दिनांक 9-2-2007 से उत्पन्न

सुधांशु एस० चौधरी और नरेश कुमार अपीलार्थी की और से ।

डाॅ० राजीव बी० मसोदकर और आ०के० आवसोश प्रत्यर्थी की और से।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गयाः

आदेश

अधिवक्ता पक्षकारान को सुना गया।

अनुमति अनुदत।

बोम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को अपराध अन्तर्गत धारा 376 सपठित धारा 511 भारतीय दण्ड संहिता दोष सिद्व किया गया और पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार के अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थ दण्ड एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर करावास से दण्डादिष्ट किया गया है, का अवलोकन किया गया।

अपील के निरस्तारण के लिए प्रकरण के आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री अनिता, आयु 18 वर्ष, अनुराबाई और अशरूबा की पुत्री है जो चिकाली, तालुका पटोदा, जिला बीड के रहवासी है और पेशे से कृषक है। अपीलार्थी उसी गांव का निवासी है। अभियोजन का प्रकरण यह है कि अनिता की माता अनुराबाई ने अनिता को स्कूल परिसर में स्थित पानी के हैण्डपम्प से पानी निकालकर लाने को कहा । दिनांक 23-

7-2005 को दोपहर करीबन तीन बजे अनिता स्टील का चरा लेकर पम्प से पानी निकलाने गयी। अभियुक्त जिसका घर सडक के किनारे था, ने अनिता को देखा और उसे बुलाया। अभियुक्त ने उससे कहा कि उसके पिता घर के अंदर है। अनिता घर के करीब, यह जानने के लिए गयी कि क्या उसके पिता अंदर है। अभियुक्त ने कहा कि उसके पिता अंदर है। जैसे ही बालिका अनिता ने घर के अंदर प्रवेश किया, अभियुक्त ने उसे पकड लिया और उसे घर के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। बालिका मदद के लिए चिल्लायी परन्तु कोई नहीं आया। यह आरोपित है कि उसके साथ अभियुक्त के द्वारा लैंगिक संभोग किया। अभियुक्त को गिरफतार, अभियोजित और अंततः विचारण न्यायालय द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 376 सपठित धारा 511 भारतीय दण्ड संहिता से दण्डनीय अपराध के लिए दोष सिद्व किया गया और सात वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदण्ड रूपये पांच हजार, अदम अदायगी अर्थदण्ड 1 वर्ष 6 माह के कठोर कारवास से दण्डित किया गया । विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गयी। उच्च न्यायालय द्वारा अपील आशिंक रूप से स्वीकर की और अपीलार्थी को अपराध अन्तर्गत 376 सपठित धारा 511 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोष सिद्व किया और सात वर्ष के कठोर करावास और अर्थदण्ड रूपये चार हजार अदम अदायगी अर्थदण्ड 1 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

इसलिए यह विशेष अनुमति याचिका।

निचले दोनों न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया और आवश्यक अभिलेख का परिशीलन किया गया। चिकित्सक की साक्ष्य के अनुसार अभियोक्त्री अनिता के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। शरीर के अंतरंग भाग पर वीर्य के निशान नहीं थे। ना तो अभियोक्त्री के कपडे फटे हुए थे ना ही अभियोक्त्री के अंतरंग भाग पर अभियुक्त के बाल मौजूद थे। चिकित्सक द्वारा परीक्षण करने के पश्चात साक्ष्य दी कि अभियोक्त्री लैगिक संभोग की आदि थी। इस साक्ष्य के प्रकाश में हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य का विश्लेषण सही नहीं किया गया और अभियुक्त/अपीलार्थी को गलत रूप से दोष सिद्व किया गया। अभियुक्त जो की अपराध अन्तर्गत धारा 376 सपठित धारा 511 भारतीय दण्ड संहिता से आरोपित किया गया है, संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों, को दृष्टिगत रखते हुए, चूंकि अभियुक्त के विरूद्व विरचित आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुए है, इसलिए हम अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदान करते है।

नतीजन, अपील स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय साथ ही साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश अपास्त किया जाता है। अभियुक्त को लगाये गये आरोप से दोष मुक्त किया जाता है।

तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

यदि अभियुक्त कारागार में है तो अन्य किसी प्रकरण में वांछित ना हो तो तुरन्त रिहा किया जावे।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी तोषिता मालानी, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।